न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 21 / 2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023 / 46

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
राजस्थान सरकार जरिये, रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद कार्यालय, नागौर		1. दिनेश कुमार पुत्र मदनलाल जाति अग्रवाल निवासी दीन दरवाजा रोड डीडवाना प्रोपराईटर मैसर्स सती हैण्डलूम डीडवाना

अपील अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र

उपस्थित :–

1. **अपीलांट की ओर से विरेन्द्र जाखड जिला रसद अधिकारी।**
2. **रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र माथुर।**

–: निर्णय :–

दिनांक: 26.03.2024

1. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.08.2023 को श्रीमान जिला रसद अधिकारी नागौर को दुरभाष पर दीन दरवाजा डीडवाना में आगजनी की सूचना प्राप्त होने पर श्रीमान के मौखिक निर्देशानुसार श्री शिवराम प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय नागौर द्वारा दीनदरवाजा स्थित गौरी कॉम्पलेक्स के पीछे वार्ड नं0 23 में स्थित मैसर्स सती हैण्डलूम डीडवाना पंहुच कर जांच की। मौके पर उपस्थित दुकान के प्रोपराईटर श्री दिनेश कुमार से पूछताछ कर बयान दर्ज किये। अपने बयानों में श्री दिनेश कुमार ने बताया किआज सवेरे 10.45 बजे वह अपनी रेडीमेन्ट कपडे की दुकान मैसर्स सती हैण्डलूम के सामने खडा था कि शेर्ट सर्किट की वजह से उनकी दुकान में आग लग गई। दुकान में शोर्ट सर्कित के समय कोई सैल्समेन अन्दर नहीं था। जिससे कोई जनहानी नहीं हुई। दुकान में आग लगने के समय दुकान में उनकी मारूति वैन संख्या आर0जे0 37 सी0बी0 3865 खडी थी। जिसमें गैस किट लगा हुआ था व एक मोटर साईकिल वाहन संख्या आर0जे0 37 एस0यू0 0260 खडी थी जो दोनों वाहन जल गये। श्री दिनेश कुमार की मारूति वेन (ईको ECCO) में गैस किट लगा होने के कारण श्री दिनेश कुमार से गाडी में गैस रिफलिंग के बारे में पूछताछ करने पर बताया कि यह वाहन उसके द्वारा पेट्रोल से चलाया जाता है। जली हुई मारूती वेन का निरीक्षण करने पर गाडी में गैस किट (Inbuilt Gas Cylinder) लगा हुआ पाया गया। गाडी का गैस किट फटा हुआ पाया गया। श्री दिनेश कुमार की दुकान मैसर्स सती हैण्डलूम में घरेलु गैस की अवैध रूप से उनकी स्वयं की कार मारूति वेन इको वाहन संख्या आर0जे0 37सी0बी0 3865 में रिफलिंग मोटर से रिफिलिंग करते समय आग

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.04.05 11:14:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कु...न

लग गई थी। श्री दिनेश से इस कार में गैस भरवाने के बिल व दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पूछे जाने पर किसी प्रकार के बिल व दस्तावेज नहीं होना पाया गया। मौके पर गैस सिलेण्डर व गैस रिफिलिंग मशीन नहीं पाई गई। श्री दिनेश कुमार से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर उनके द्वारा गैस का उपयोग करने से मना किया। जांच अधिकारी के जांच स्थल पर पहुंचने से पहले श्री दिनेश कुमार द्वारादो घरेलु गैस सिलेण्डर व एक गैस रिफिलिंग मोटर इत्यादि मलबा हटा दिया गया था जिससे गैससिलेण्डर व रिफिलिंग मशीन मौके पर नहीं मिले। यह आगजनी की घटना गैस रिफिलिंग की वजह से घटित हुई प्रतीत होती है। मौके पर श्री दिनेश कुमार से वाहन संख्या आर0जे037 सी0बी0 3865 के आर.सी. व अन्य दस्तावेज एवं दोनों घरेलु गैस सिलेण्डर व गैस रिफिलिंग मोटर सुपुर्द करने हेतु कहा गया लेकिन उनके द्वारा मना कर दिया।

2. दिनांक 13.08.2023 को श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पुनः पुलिस जाब्ते के साथ घटना स्थल का पुनः निरीक्षण किये जाने पर मौके से दो घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये। श्री दिनेश कुमार से घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डार व व्यापारिक उपयोग से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र मांगे जाने पर इनके पास इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं होना स्वीकार किया। मौके से कब्जे लिये गये दोनों घरेलू सिलेण्डरों का निरीक्षण करने पर दोनों सिलेण्डरों में छेद पाये गये जिससे गैस का जलने के समय रिसाव हुआ और आग चारों तरफ फैल गई। तत्पश्चात दोनों गैस सिलेण्डर की फर्द तलपट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	एस आरनं0	कुल वजन	रिक्त का वजन	शुद्ध गैस
1	एचपी गैस	772617–टी	15.9	15.9	0
2	एसपी गैस	235765–एस	15.1	15.1	0

उपरोक्त जब्त वाहन संख्या आर0जे0 37 सी.बी. 3865 व एक मोटर साईकिल वाहन संख्या आर0जे0 37 एस.यू. 0260 को प्रभारी मालखाना पुलिस थाना डीडवाना की सुपुदर्गी में दिया गया एवं जब्त सुदा सिलेण्डर मैसर्स असमा गैस सर्विस डीडवाना के प्रतिनिधि श्री सद्दाम पुत्र श्री गफार खान की सुपुदर्गी में दिये गये।

इस प्रकार श्री दिनंश कुमार का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ यूज इन मोटर व्हीकल्स) आर्डर – 2001 के क्लॉज 3(3) तथा लिक्वीफाइड पेट्रोलियम (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर–2000 के क्लॉज 3(c) 4, 1(a), 7(l)(a)(c) का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अ[illegible] है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण में [illegible]सुदा [illegible]न संख्या आर. जे. 37 सी.बी. 3865 व एक मोटर साईकिल वाहन संख्या आर[illegible]7 एस.यू. 0260 को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत समापहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.04.05 11:14:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिय सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री राजेन्द्र माथुर ने वकालतनामा पेश किया।

वकील अप्रार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे प्रतिष्ठान में जो उक्त संसुगत दिवस दिनांक 12.08.2023 को आग लगना बतया है वह आग प्रतिष्ठान में विद्युत के शोर्ट सर्किट की वजह से ही लगी है। जिस मारूति वैन संख्या आर.जे. 37 सीबी 3865 बताई है वह कम्पनी द्वारा ही एलपीजी सिस्टम फिटेड है जो मेरे उक्त वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र से स्पष्ट है। यही नहीं इस वाहन का जो इंश्योरेन्स है उसमें भी इंश्योनेन्स एलपीजी फिटेड ही किया हुआ है। इंश्योनेन्स कम्पनी द्वारा उक्त एलपीजी किट बाबत पृथक से इंश्योनेन्स की रकम भी काटी हुई है। ऐसी स्थिति में जब मेरे उक्त वाहन में पंजीकृत रूप से वाहन पंजीकरण विभाग द्वारा एलपीजी किट एप्रुव्ड है तो उक्त बताई गई धाराओं के प्रावधान मुझ पर लागू नहीं होते। प्रार्थी स्वयं इस पद में मानता है कि उक्त वाहन में इनबिल्ट गैस सिलेण्डर लगा हुआ है। तब इस आशय का कोई अपराध मेरे विरूद्ध नहीं बनता। प्रार्थी स्वयं अपने इस पद में स्वीकार करता है कि मौके पर गैस सिलेण्डर व गैस रिफलिंग मशीन नहीं पाई गई तब मेरे द्वारा ऐसा कोई अपराध घटित होने का प्रश्न ही नहीं है। जब दिनांक 12.08.2023 को मौके पर गैस सिलेण्डर व रिफलिंग मशीन नहीं होना प्रार्थी स्वयं स्वीकार करता है तब दिनांक 13.08.2023 को श्री शिवराम प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा बताये गये पुनः मौका निरीक्षण के समय दो घरेलु गैस सिलेण्डर मेरे व्यवसायिक प्रतिष्ठान से कैसे जब्त किये जा सकते है। उक्त सम्पूर्ण तथ्य गलत है एवं तोड मरोड कर प्रस्तुत किये गये है। सामान्य अनुक्रम में उक्त घटना दिनांक 12.08.2023 के पश्चात कोई व्यक्ति अपने ही विरूद्ध साक्ष्य जुटाने के लिए ऐसा सिलेण्डर प्रतिष्ठान में लाकर क्यों रख देगा। जो बरामदगी बताई है वह पूर्णतः गलत है।

दिनांक 12.08.2023 को सुबह 11 बजे अप्रार्थी की फर्म सती हैण्डलूम में अचानक ही बिजली के शोर्ट सर्किट से आग लग गई। जिसमें अप्रार्थी पक्ष की कोई असावधानी नहीं थीं इस बाबत अप्रार्थी स्वयं ने एक लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 290/2023 पीएस डीडवाना में पेश की था। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी बिलकुल स्वच्छ हाथों से अधिकारियों के समक्ष सूचना देकर सही तौर पर घटना का ब्योरा दिया है। अप्रार्थी उक्त वाहन एलपीजी प्रमाणितकृत वाहन होने पर भी अप्रार्थी अधिकतम अपने उक्त वाहन को पेट्रोल से ही चलाता है। दिनांक 11.08.2023 को भी इस वाहन में 30 लीटर पेट्रोल ग्राम मीठडी से भरवाया गया है। अप्रार्थी ने प्रार्थी को उक्त वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं इंश्योरेन्स की प्रतिलिपि उपलब्ध करवा दी थी। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त आवेदन पत्र एवं इससे संबंधित कार्यवाही अप्रार्थी के विरूद्ध ड्रोप फरमाने की कृपा करावें।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष को सुना गया। अपीलान्ट की ओर से श्री विरेन्द्र सिंह जिला रसद अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों को दोहराया तथा निवेदन किया कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन संख्या आर.जे. 37 सी.बी. 3865 व एक मोटर साईकिल वाहन संख्या आर.जे. 37 एस.यू.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.04.05 11:14:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

0260 को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर वकील श्री राजेन्द्र माथुर ने जवाब में प्रस्तुत किये गये कथनों को हूबहू दोहराते हुऐ अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त प्रकरण की कार्यवाही को न्यायहित में ड्रोप किये जाने के आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों झपती रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा बिना अधिकारिता / अनुज्ञप्ति के दो गैस सिलेण्डर संग्रहित किया उक्त सिलेण्डर को Tempeering / परिवर्तन करने के कारणों पर भी अप्रार्थी द्वारा कोई सन्तोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराने के पश्चात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिसमें प्रार्थी के Cleanttands से आने के कथन भी स्वीकार्य नहीं है।

अप्रार्थी द्वारा बिना अनुज्ञप्ति गैस सिलेण्डर रखा जाना लिक्विफाइड पैट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ यूज इन मोटर व्हीकल्स) ऑर्डर – 2001 के क्लॉज 3 (3) तथा लिक्विफाइड पैट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर –2000 के क्लॉज 3(c) 4 1(a) 7(1)(a).(c) का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर 6ए के तहत Confiscation करने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में जब्तसुदा 02 घेरलू गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण किया जावें। प्रकरण में जप्त सुदा वाहन संख्या आर.जे. 37 सी.बी. 3865 व एक मोटर साईकिल वाहन संया आर.जे. 37 एस.यू. 0260 के समपहरण किये जाने के विकल्प में वाहन मालिक पर 2000 / – अक्षरे दो हजार रू0 जुर्माना आरोपित किया जाता है। उक्त जुर्माना राशि इस आदेश के 45 दिवस में जमा करवा दिये जाने पर उक्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है तथा जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर उक्त वाहन को नियमानुसार निलाम किया जावें। निलामी से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। जो नियमानुसार राजकोष में जमा कराई जावें। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक **26.03.2024** को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.04.05 11:14:28 IST
Reason: SelfAttested

(... असावा, **IAS**)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन